



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 103] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 1991/माघ 30, 1912
No. 103] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 1991/MAGHA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1991

का.आ. 112(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो सौ पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, "मन्त्रिमंडल सचिवालय" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 3 का लोप किया जाएगा।

(रामस्वामी वेंकटरामन)
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/3/91-मन्त्रि.]
दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

**CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 1991

S.O. 112(E):—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifteenth amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)", entry 3 shall be omitted.

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT

[No. 74/2/3/91-Cab.]
D. DAS GUPTA, Jt. Secy,